पंचदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-18.02.2014 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० डा० मुहम्मद जावेद, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अवधेश कुमार राय, स०वि०स०	"बटेश्वर स्थान गंगा पम्पिंग योजना चरण-I (कहलगांव, भागलपुर) का कार्यारम्भ वर्ष 1981-82 में ही हो गया था । करीब 32-33 वर्ष बाद भी अभी तक इस योजना से सिंचाई नहीं हो रही है, जबकि सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2012 के जून माह से ही मुख्य नहर में पानी छोड़कर सिंचाई कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । अत: इस योजना में हो रहे अप्रत्याशित विलम्ब पर कार्रवाई कर शीघ्र सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	जल संसाधन

1	2	3	4
2.	श्री अश्विनी कुमार चौबे, स०वि०स० श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स०वि०स० श्रीमती आशा देवी, स०वि०स० श्रीमती दिलमरणी देवी, स०वि०स० श्री सुनील कुमार "पिन्टू", स०वि०स० श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री गोपाल जी ठाकुर, स०वि०स० श्रीमती मंजु हजारी, स०वि०स०	"उत्तराखण्ड भीषण त्रासदी में राज्य के सैकड़ों लोग कालकल्वित हुए थे । उनका न तो मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है और न ही मुआवजा राशि दी गयी है । मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय की सरकार द्वारा अनदेखी की गयी है । मेरे व्यक्तिगत प्रयास से कुछ जिलों में जिलाधिकारी द्वारा मृतकों का (फोटो के साथ) विज्ञापन प्रकाशित कराया गया लेकिन अधिकांश जिलों में स्थिति नगण्य है । मेरे साथ गये चार कर्मी जो सरकारी कार्य के दौरान कालकल्वित हुए थे तथा इस त्रासदी में राज्य के ऐसे अन्य सैकड़ों लोग जो मृत हो चुके हैं, उनका मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं होने के कारण बैंक खाता परिचालन बाधित है तथा जीवन बीमा सहित नौकरी एवं अन्य लाभ से उनके परिजन वंचित हैं । बिहार के तीन लोग जो वहां रहते थे तथा कालकल्वित हुए थे, उनके परिजनों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पांच माह पूर्व दो-दो लाख मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है । जबकि राज्य सरकार इस अति गंभीर विषय पर मौन है । अतः इस त्रासदी में कालकल्वित हुए लोगों का मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने, परिजनों को मुआवजा एवं सरकारी कर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	गृह (विशेष)

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/14- 401 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग तथा गृह (विशेष) विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17.2.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-03/14- 401 / वि०स०, पटना, दिनांक- 17 फरवरी, 2014 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

17.2.14
(नियाज अहमद)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।